अध्याय-V

अन्य कर प्राप्तियाँ

अध्याय-V: अन्य कर प्राप्तियाँ

वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

5.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियन्त्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों तथा फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

वाहनों के लिएः विभाग वाहनों के पंजीकरण/नवीनीकरण, स्वामित्व के हस्तांतरण, पते में परिवर्तन, अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र जारी करने/नवीनीकृत करने, सभी प्रकार के परमिट जारी करने/नवीनीकृत करने एवं कर और शास्ति के संग्रह के लिए वाहन एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। वाहन 1.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन अक्टूबर 2006 में प्रारम्भ हुआ और अगस्त 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। विभाग ने वाहन के नवीनतम संस्करण यथा–वाहन 4.0 को जनवरी 2016 और फरवरी 2019 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया। यह एक वेब आधारित प्रणाली है।

ड्राइविंग लाइसेंस के लिएः विभाग लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने, स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने/नवीनीकरण एवं शुल्क और शास्ति वसूलने के लिए सारथी एप्लीकेशन का उपयोग कर रहा है। सारथी 2.0 एप्लीकेशन का कार्यान्वयन जून 2011 में प्रारम्भ हुआ और अप्रैल 2013 तक उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में पूर्ण किया गया। विभाग ने सारथी के नवीनतम संस्करण यथा–सारथी 4.0 को अक्टूबर 2016 और मई 2018 के मध्य अपने सभी कार्यालयों में कार्यान्वित किया। यह भी एक वेब आधारित प्रणाली है।

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर एवं वाराणसी।

प्रवर्तन के लिएः ई–चालान ऐप, परिवहन प्रवर्तन शाखा और यातायात पुलिस द्वारा उपयोग के लिए एण्ड्राइड आधारित मोबाइल ऐप और बैक–एंड वेब एप्लिकेशन के माध्यम से यातायात उल्लंघन का प्रबन्धन करने के लिए एक एकीकृत प्रवर्तन समाधान है। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा चालान जारी करने और प्रशमन शुल्क के निपटान के लिये इस ऐप का उपयोग किया जा रहा है। इसका प्रयोग जून 2017 से किया जा रहा है।

5.2 लेखापरीक्षा का परिणाम

वर्ष 2022-23 के दौरान, परिवहन विभाग की 83 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 29 इकाइयों[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच में 76,645 मामलों में सन्निहित ₹ 753.97 करोड़ के कर/शास्ति/अतिरिक्त कर, स्वस्थता शुल्क की न/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **तालिका–5.1** में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका–5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर/अतिरिक्त कर की कम वसूली	29,340	319.18
2	बिना स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों का संचालन	26,384	19.62
3	जारी वसूली प्रमाणपत्रों के विरूद्ध वसूली न होना	8,621	28.20
4	उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों से शास्ति की वसूली न होना	2,144	8.94
5	अन्य अनियमितताएं[4]	10,156	378.03
योग		**76,645**	**753.97**

5.3 उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का आरोपण न किया जाना

अतिरिक्त कर के भुगतान में हुए विलम्ब के लिए 985 उ0प्र0रा0स0प0नि0 की बसों पर ₹ 6.43 करोड़ का अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया गया।

उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम[5], 1997 के अन्तर्गत, राज्य परिवहन उपक्रम के स्वामित्व या नियन्त्रण में कोई भी सार्वजनिक सेवा वाहन को उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अतिरिक्त कर, उसके सम्बन्ध में देय कर का अतिरिक्त भुगतान न कर दिया गया हो। अग्रेतर, उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम[6], 1997 के साथ पठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[7], 1998 के अनुसार, जहाँ कर या अतिरिक्त कर की अदायगी निर्दिष्ट अवधि (प्रत्येक कैलेण्डर माह की 15 तारीख) में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय कर/अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत प्रति माह की दर से अतिरिक्त कर या उसका भाग के लिये (देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान के लिये सम्बन्धित व्यवसायिक नियमों का

[3] इसमें कार्यालय के प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 17 स0प0का0 एवं 11 स0स0प0का0 शामिल हैं।

[4] तीन माह से अधिक समय से समर्पित वाहनों से राजस्व प्राप्त न होना, जब्त वाहनों की नीलामी नहीं होने से राजस्व प्राप्त न होना, 15 साल से अधिक वाहनों का पुनः पंजीकृत नहीं होने से राजस्व की हानि, कैरिज बाई रोड, अधिनियम 2007 के अन्तर्गत शास्ति न लगाये जाने के कारण राजस्व की हानि आदि।

[5] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1)।

[6] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 9 (1) एवं (3)।

[7] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 (1) के साथ पठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 का नियम 24।

मानचित्रण करते समय, अर्थदण्ड प्रावधान को भी वाहन एप्लीकेशन में प्रतिचित्रण किया जाना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने दिसम्बर 2020 से सितम्बर 2022 तक की अवधि के लिए दो[8] स0प0अ0 के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि (मई 2022 और अक्टूबर 2022) उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों के 1,002 नमूना जाँच किए गए मामलों में से 985 में, उ0प्र0रा0स0प0नि0 द्वारा अतिरिक्त कर का भुगतान 1 से 57 माह के विलम्ब से किया गया था। यद्यपि, अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर विभाग ने ₹ 6.43 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपण एवं वसूल नहीं किया, जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में वर्णित है। लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि यद्यपि विभाग ने *वाहन* एप्लिकेशन में अतिरिक्त कर के अलावा अन्य करों के विलम्बित भुगतान के लिए अर्थदण्ड के प्रावधानों को प्रतिचित्रण किया था, लेकिन इसने न तो *वाहन* एप्लिकेशन में अतिरिक्त कर के दण्ड प्रावधानों को प्रतिचित्रण किया था और न ही इसे मैनुअल रूप से आरोपित एवं वसूला गया था। *वाहन* एप्लिकेशन में अर्थदण्ड प्रावधानों के प्रतिचित्रण से एप्लिकेशन प्रणाली द्वारा अर्थदण्ड की स्वचालित गणना की सुविधा मिल जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2022)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

5.4 बिना परमिट नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति के भुगतान के बिना संचालित होने वाले वाहन

बिना परमिट के संचालित 1,222 वाहनों पर आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क एवं शास्ति की धनराशि ₹ 2.02 करोड़ का आरोपण नहीं किया गया।

मो0या0 अधिनियम[9], 1988 के अन्तर्गत, अस्थायी परमिट के अलावा कोई भी परमिट पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगा एवं मोटर वाहन स्वामी बिना परमिट के किसी सार्वजनिक स्थान पर परिवहन वाहन के रूप में न वाहन का उपयोग करेगा न करने की अनुमति देगा। उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली[10] में नये परमिट के जारी करने, इसके नवीनीकरण एवं आवेदन शुल्क के लिए दरें निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दरों का पुनरीक्षण[11] (फरवरी 2019) किया गया। अग्रेतर, बिना परमिट के वाहन का संचालन, मो0या0 अधिनियम[12] के अन्तर्गत ₹ 10,000 की दर[13] से प्रशमन योग्य है।

महामारी के कारण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (स0प0रा0मं0) ने उन वाहनों के परमिट की वैधता 31 अक्टूबर 2021 तक बढ़ा[14] दी थी, जिनकी परमिट की वैधता 1 फरवरी 2020 तक समाप्त हो गई थी।

वाहन के डाटा के विश्लेषण पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा अवधि (मई 2022 से अक्टूबर 2022) के दौरान, विभिन्न परमिट के अन्तर्गत आच्छादित 39,918 परिवहन वाहन दो[15] स0प0अ0 में पंजीकृत थे। इनमें से, 1,222 वाहनों के परमिट की वैधता जनवरी 2020 से सितम्बर 2022 के दौरान समाप्त हो गई थी।

---

[8] स0प0का0 गाजियाबाद एवं स0प0का0 कानपुर।

[9] मो0या0 अधिनियम की धारा 81 और 66।

[10] उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली का नियम 125।

[11] अधिसूचना संख्या 4/2019/215/30–4–2019–4(02)/2010 दिनांक 26 फरवरी 2019।

[12] मो0या0 अधिनियम की धारा 192ए।

[13] आदेश दिनाँक 30.07.2020 के द्वारा।

[14] स0प0रा0मं0 अधिसूचना संख्या आरटी–11036/35/2020–एमवीएल दिनाँक 30 सितम्बर 2021।

[15] स0प0अ0 गाजियाबाद एवं स0प0अ0 कानपुर।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि लेखापरीक्षा के समय तक इन वाहनों के परमिट का नवीनीकरण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में अग्रेतर देखा गया कि न तो इन वाहनों के स्वामियों ने वाहनों का उपयोग नहीं होने पर पंजीकरण प्रमाणपत्र का समर्पण किया था और न ही विभाग ने उनका पंजीकरण निरस्त किया था। इन वाहनों के सम्बन्ध में परमिट की समाप्ति के बाद की अवधि तक के लिए कर का भुगतान किया गया था। इससे प्रतीत होता है कि ये वाहन बिना परमिट के सड़क पर संचालित थे। इन वाहनों के स्वामियों से आवेदन शुल्क, परमिट शुल्क और शास्ति की धनराशि ₹ 2.02 करोड़ की वसूली नहीं की गई, जैसा कि **परिशिष्ट–XX** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2022)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

5.5 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्रों के बाहर संचालित 112 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जाएगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997[16] (28 अक्टूबर 2009 को यथासंशोधित) के अन्तर्गत निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया हो। यद्यपि, नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहनों को अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

रा0प0उ0 की बसों पर उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6 (1) के अन्तर्गत अतिरिक्त कर की दर नीचे **तालिका–5.2** में वर्णित है।

तालिका-5.2

क्रम सं0	वाहनों का विवरण	प्रति सीट अतिरिक्त कर की दर (धनराशि ₹ में)		
		मासिक	त्रैमासिक	वार्षिक
1	दो वर्ष तक पुराने वाहन	600	1,800	6,500
2	दो वर्ष से अधिक लेकिन चार साल तक पुराने वाहन	500	1,500	5,400
3	चार साल से अधिक लेकिन छह साल तक पुराने वाहन	400	1,200	4,800
4	छह साल से अधिक पुराने वाहन	150	450	1,600

वातानुकूलित वाहनों के सम्बन्ध में प्रति सीट कर की दर उपरोक्त तालिका में उल्लिखित दर से 25 प्रतिशत अधिक होगी।

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2022-23 के दौरान दो[17] स0प0अ0 के अभिलेखों[18] की नमूना जाँच की। नगर निगमों के अन्तर्गत परिभाषित मार्गों के साथ जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नगरीय नवीकरण मिशन (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों की सूची को क्रास–चेक करने से ज्ञात हुआ (सितम्बर और नवम्बर 2022 के मध्य) कि जनवरी 2020 एवं अक्टूबर 2022 की अवधि के मध्य, दो[19] रा0प0उ0 के अन्तर्गत 112 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें इन शहरों के निर्दिष्ट नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर संचालित थीं, जिसके लिए ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। रा0प0उ0 ने 112

[16] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 6 (1)।

[17] स0प0अ0 मेरठ एवं स0प0अ0 वाराणसी।

[18] वाहन डेटाबेस, नगर निगम/नगर पालिका से क्षेत्रों (अन्दर/बाहर) के रूट फाइलों के अभिलेख, अतिरिक्त कर जमा के अभिलेख, नगर निगम रूट सूची, आदि।

[19] वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज (104 बसें) और मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज (08 बसें)।

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के लिए ₹ 1.97 करोड़ के अतिरिक्त कर का भुगतान नहीं किया था।

सम्बन्धित स0प0अ0 ने परमिट में उल्लिखित इन बसों के रूट चार्ट की जाँच नहीं की और इसलिए यह ध्यान देने में विफल रहे कि ये जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें सम्बन्धित नगर निगम द्वारा परिभाषित नगरपालिका क्षेत्रों के बाहर चल रही थीं। परिणामस्वरूप, ₹ 1.97 करोड़ का अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया जैसा कि नीचे **तालिका–5.3** में वर्णित है:

तालिका–5.3

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की सं0	उन बसों की संख्या जिनमें अनियमितता पायी गईं	वह अवधि जिसके लिए अतिरिक्त कर आरोपणीय है	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0, मेरठ	88	8	01/2020 to 08/2022	40,99,750.00
2	स0प0अ0, वाराणसी	118	104	01/2020 to 10/2022	1,56,14,400.00
योग		**206**	**112**	**01/2020 to 10/2022**	**1,97,14,150.00**

उत्तर में, वाराणसी और मेरठ के स0प0अ0 ने कहा कि नोटिस भेजे जाएगें, एवं अतिरिक्त कर की वसूली क्रमशः वाराणसी सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड एवं मेरठ सिटी ट्रान्सपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड से की जाएगी।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (मार्च 2023)। विभाग का उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है (जनवरी 2024)।

तान्या सिंह

(तान्या सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनाँक 9 जून 2024

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनाँक 21 JUN 2024